दैनिक जागरण 02/07/2024

नए कानून और उनका क्रियान्वयन पर सेमिनार

जागरण संवाददाता • अंबाला : गांधी मेमोरियल नेशनल कालेज कैंट में जागरूकता पैदा करने और समाज के लिए नए कानूनों के महत्व और प्रभाव को उजागर करने के लिए "भारत के नए आपराधिक कानून और उनका क्रियान्वयन" पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम, डा. सुरेंदर कुमार, कालेज के कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा सेमिनार हाल में आयोजित किया गया।

डा. सीमा कंसल, कार्यवाहक प्रिंसिपल ने छात्रों को बताया 1 जुलाई, 2024 से नया कानून लागू हो गया है। प्रवक्ता डा. कृष्ण पुनिया ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और उनकी व्यवहारिकता पर अपने विचार भी साझा किए। व्याख्यान सत्र में कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने, पीड़ित मुआवजे में संशोधन, जांच प्रक्रियाओं में बदलाव और जमानत प्रावधानों में संशोधन सहित प्रमुख संशोधनों पर गहन चर्चा की गई। जिन विषयों पर गहन चर्चा की गई, उनमें भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराध, झूठी सूचना का आरोप, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, जुर्माना और कारावास की नई शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा, सत्र में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की स्वीकार्यता और इंटरनेट मीडिया और 'साइबर अपराध' के उपयोग में बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई।